UPKU010042002026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित–**संजीव कुमार त्यागी, एच०जे०एस०–Id No. UP2018**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – **1215/2026**

सुग्रीव प्रसाद बउम्र 48 वर्ष पुत्र मंहगू, साकिन– बेलवा बाबू, थाना– कोतवाली हाटा, जनपद–कुशीनगर।

––– अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

–––विपक्षी

मु०अ०सं०– 159/2026
धारा–85, 108, 238 बी०एन०एस०
थाना– कोतवाली हाटा,
जनपद– कुशीनगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1–यह जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त सुग्रीव प्रसाद की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2–अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 16–04–2026 को वादिनी मुकदमा श्रीमती इन्द्रावती देवी द्वारा थाना को० हाटा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी पुत्री पार्वती का विवाह लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व सुग्रीव प्रसाद के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। उसकी पुत्री के चार बच्चे हैं। (तीन लड़की एक लड़का) पिछले करीब एक साल से सुग्रीव किसी अन्य महिला से भी बातचीत करता था। जिसके बारे में उसने उन लोगों को भी बताया था। इसे लेकर पार्वती व सुग्रीत में अक्सर विवाद होता रहता था। सुग्रीव विदेश में रहता था तथा फरवरी 2026 में वह घर वापस आया था और तब से दोनो लोगों के बीच अक्सर उसी बात को लेकर वाद विवाद होता रहता था तथा बात बात पर सुग्रीव यही कहता था कि तुम मर जाती तो मै दूसरी शादी कर लूंगा। इन्ही सब बातों पर दिनांक 14–04–2026 से पूर्व लगभग चार दिन से वाद विवाद बढ़ गया था तथा सुग्रीव उसकी लड़की पार्वती को मारना पीटना व प्रताड़ित करना तथा आत्महत्या के लिए उकसाने लगा। उसकी लड़की उसके उकसावे में आकर दिनांक 14/15–04–2026 की मध्य रात्रि में आत्महत्या कर लिया। आनन फानन में सुग्रीव, रामदयाल उर्फ निगम, हरेन्द्र व सुग्रीव के जीजा हेमन्त तथा सावित्री देवी मिलकर उसकी लड़की का बिना उसे सूचना

दिए भोर में ही गांव के सिवान में अंतिम संस्कार कर दिए। उसके बाद पार्वती की अचानक मृत्यु हो जाने के संबंध में सूचना दिए। तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई।

3– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे साजिश करके फर्जी रुप से गलत कथनो व तथ्यो के आधार पर फंसाया गया है। वादिनी का यह कथन असत्य है कि अभियुक्त का किसी अन्य महिला से संबंध था जिसके बारे में उसने उन्हे बताया था। अभियुक्त पिछले कई वर्षों से दुबई में रहता था तथा वह फरवरी 2024 में भारत आया। विदेश में रहने के दौरन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मृतका मानसिक रूप से बीमार थी जिसके कारण उसने घटना को अंजाम दिया। अभियुक्त द्वारा मृतका को मारपीटकर मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया। वादिनी का यह कहना गलत है कि अभियुक्त अपनी पत्नी को मर जाने के लिए उकसाता था ताकि वह दूसरी शादी कर सके। प्रथम सूचना रिपोर्ट रिपोर्ट काफी सोंच विचार कर दर्ज कराई गई है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गठित नहीं होता है। तदनुसार जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने बहस में कहा है कि अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाता था जिसके कारण मृतका ने आत्महत्या कर कर लिया। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने की याचना की गई।

5–मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6– प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसके द्वारा वादी की पुत्री पार्वती को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाता था जिसके कारण मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर कर लिया।

स्वतन्त्र साक्षी श्रीमती मुन्नी ने अपने बयान में कहा है कि सुग्रीव की पत्नी पार्वती कभी कभार उसके घर पर आती थी तथा अपने पति सुग्रीव के बारे में बताती थी कि उसके पति सुग्रीव मोबाइल से दुबई में किसी महिला से बात करते हैं तथा मना करने पर उसे प्रताड़ित करते हैं तथा कहते हैं कि कही जाकर डूब मरो मै तुमको नही चाहता हूँ। उसने उन्हे समझाया कि उसके चार बच्चे हैं जिनके परविरश की पूरी जिम्मेदारी उसकी है। न पढ़ा पाने के कारण उसने दो बच्चों को माता पिता के पास भेजा है। ऐसा करने पर उसका व उसके बच्चों का जीवन नरक बन जायेगा। यह कहकर पार्वती रोने लगी। जिस पर उसने पार्वती को काफी समझाया। दिनांक 14–04–2026 को दिन में पति पत्नी के बीच काफी विवाद हुआ था तथा अगले दिन सुबह जानकारी हुई कि पार्वती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है।

अभियुक्त मृतका का पति है। अभियुक्त द्वारा दी गई प्रताड़ना के कारण मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य को मिटाने के

उद्देश्य से मृतका के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति काफी गंभीर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्कों में बल पाया जाता है। उक्त कारणों के मद्देनजर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सुग्रीव प्रसाद द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 03.06.2026
R.P.Shukla

(संजीव कुमार त्यागी)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.06.03 15:36:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court